AMOGHVARTA
ISSN : 2583-3189

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2012 की उपादेयता का अध्ययन

जगमीत कौर, शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग
कंलिगा विश्वविद्याालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा यही है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक व आर्थिक रूप से समृद्ध किया जा सके इसी मंशा को ध्यान मे रखते हुए शासन द्वारा समय–समय पर अनेक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण किया जाता है। प्रस्तुत शोध में खाद्य सुरक्षा अधिनियम होने से आये सामाजिक आर्थिक समृद्धता पर प्रकाश डाला गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 में लोगों को सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है। इस अधिनियम के अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके द्वारा खाद्य सामग्री सही व अनुकूल परिस्थिति में प्राप्त हो सके एवं कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। छ.ग. खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करके देश में अग्रणी है। आज इस प्रणाली को सभी राज्य एवं देश लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किसी भी समाज में महिलाओं का विकास उस समाज की प्रकृति का आधार स्तम्भ होता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 के अर्न्तगत शासन की मंशा यही है कि इन्हें सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर अल्प आय, अल्परोजगार तथा बेकार व्यक्तियों के जीवन स्तर को सुधारा जाये। महिलाएं शिक्षित होकर आर्थिक रूप से आत्म निर्भर हों तभी पुरूषों के समकक्ष आने का अवसर प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 में कई ऐसे प्रावधान है जिससे महिला सशक्तिकरण हो सके अर्थात् इस अधिनियम का एक उद्देश्य महिला सशक्तिकरण भी है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि राशन कार्ड घर के ज्येष्टमत महिला के नाम से बनेगा। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 से लोगों में आर्थिक–सामाजिक समृद्धता आये इस हेतु शासन के द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयास भी किया जा रहा है। इस अध्याय के इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के द्वारा सामाजिक–आर्थिक समृद्धता पर विशेष अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द

खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नागरिक आपूर्ति.

प्रस्तावना

खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012

गैर खाद्यान्न फसलों के समूह की अपेक्षा अधिक अस्थिर बना हुआ है जबकि अनाजों और दालों की उपज में अस्थिर में निरन्तर कमी हुई जबकि तेलो में निरन्तर वृद्धि हुई।

खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, सभी लोगो के लिए सदैव भोजन उपलब्ध पहुँच, और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज में उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है, तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होता है। खाद्य की सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सर्तकता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। छ.ग. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन एवं निगरानी के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 23 दिसम्बर 2004 को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 लागु किया गया। छ.ग. राज्य के गणना के समय प्रदेश में 6501 उचित मूल्य दूकाने संचालित थी किन्तु वर्तमान में 10,894 उचित मूल्य दुकाने संचालित है। राज्य में भारतीय खाद्य निगम के 11 बेस डिपो छ.ग. राज्य

नागरिक आपूर्ति निगम के 117 पीडीएस प्रदाय केन्द्र के जरिए राशन दुकानों में राशन सामाग्री का भण्डारण कराया जाता है। राज्य में पीडीएस के लिए गेंहू का उठाव भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो नागरिक आपूर्ति निगम से किया जाता है। चावल, शक्कर, नमक, चना एवं दाल नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा क्रय कर उचित मूल्य दूकानों को भेजा जाता है। राज्य में पीडीएस के लिए केरोसिन तथा आम जनता के लिए पेट्रोल एवं डीजल का प्रदाय सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल कम्पनियो के मंदिर हसौद, भिलाई, बिलासपूर, एवं विश्रामपुर स्थित आयल डिपो से प्रदाय किया जाता है।

परिणाम एवं व्याख्या

योजना लाभान्वित स्थिति

सारणी क्रमांक 1: योजना की लाभान्वित संबंधित अभिमत

क्रं.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	52	86.66
2	नही	08	13.33
3	पता नहीं	—	—
	योग	60	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में 86.6 प्रतिशत लोगों को इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ है, जबकि 13.33 प्रतिशत लोगों का मत है कि इस योजना से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ।

ग्राफ क्रमांक 1: लाभान्वित अभिमत

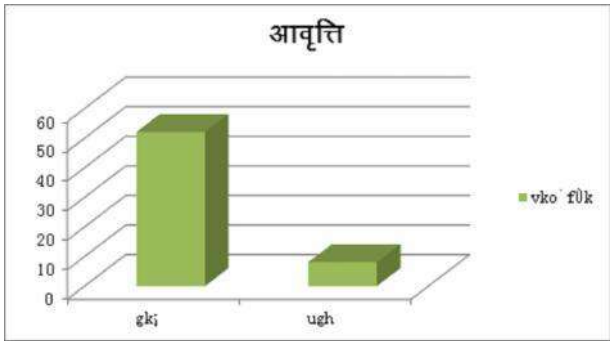

सुविधा लेने के प्रकार अभिमत

सारणी क्रमांक–2: सुविधा लेने के प्रकार अभिमत

क्रं.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	जब से शुरू हुआ	50	83.33
2	पिछले कुछ वर्ष से	8	13.33
3	पता नहीं	1	1.66
	योग	60	100.00

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 83.3 प्रतिशत लोगों का अभिमत है कि उन्होंने यह सुविधा जब से संचालित की गयी है तब से ले रहे हैं। जबकि 13.3 प्रतिशत लोगों का अभिमत है कि पिछले कुछ वर्षों से इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं, वहीं 1.66 प्रतिशत लोगों ने इस सम्बंध में किसी प्रकार का कोई अभिमत नहीं दिया है।

ग्राफ क्रमांक 2: सुविधा लेने के प्रकार अभिमत

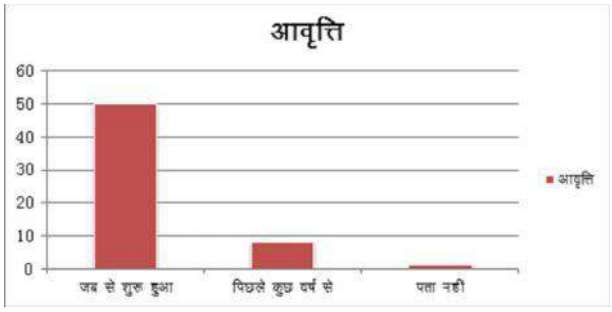

राशन कार्ड

खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 के पात्र हितग्राही क्या गरीबी रेखा में शामिल है इस सम्बंध में प्राप्त अभिमत को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी क्रमांक 3: गरीबी रेखा अभिमत

क्रं.	अभिमत	आवृत्ति	प्रतिशत
1	शामिल है	57	95
2	नहीं है	3	5
3	पता नहीं	—	—
	योग	60	100

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में 95 प्रतिशत लोगों का मत है कि वे गरीबी रेखा में शामिल हैं, जबकि 5 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके मतानुसार वे गरीबी रेखा में शामिल नहीं हैं। यह तथ्य उल्लेखीय है क्योंकि इस योजना अन्तर्गत सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ही पात्र हैं।

ग्राफ क्रमांक 3: गरीबी रेखा अभिमत

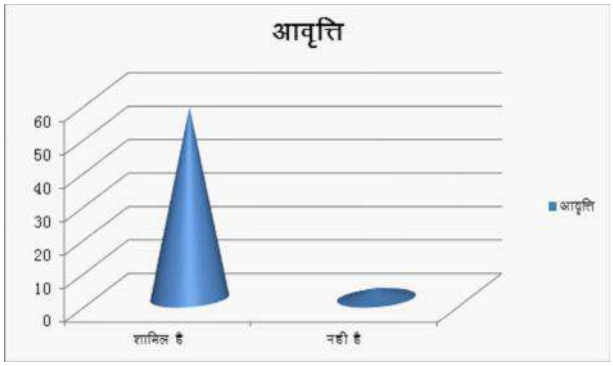

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा नियम में निहित प्रावधानों से राज्य के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक व सामाजिक स्वावलंबन में सहायता मिली है इस योजना में लोगों के जीवन में राज्य के कल्याणकारी अवधारणा को स्थापित करने का प्रयास किया गया है इस योजना में नया सिर्फ लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति राज्य की प्राथमिकता को स्थापित किया है बल्कि उनके सामाजिक जीवन के ताने बाने को भी मजबूत किया है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 सामाजिक–आर्थिक स्वालंबन एवं समृद्धि में मील का पत्थर साबित हुआ है। हालांकि इस योजना को और भी प्रभावी एवं उपादेयता बढ़ाने हेतु और भी प्रावधानों को जोड़े जाने की आवश्यकता है। इस योजना के जहां एक ओर बड़े आर्थिक सुरक्षा का माध्यम बनाया है तो वहीं दुसरी ओर महिला सशक्तिकरण को बल

प्रदान किया है। इसकी सफलता एवं क्रियान्वयन की चुनौती सारे समाज के लिये है। सामाजिक–आर्थिक सषक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय की यही अवधारणा है कि किसी भी कल्याणकारी राज्य में कोई व्यक्ति धन के अभाव में भूखा न रहे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2012 इसी की मूल आत्मा है।

संदर्भ सूची

1. आहलूवालिया डी., (1993) पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इंडिया कवरेज टारगेंटिग लिडेजेस (फूड पॉलेसी 18 फरवरी 1993 पेज नं0 60।
2. अनन्दा डी (2012) स्टेट रिस्पॉस टू फूड स्क्यूरटी, अ स्टडी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन।
3. अरूण ए.के. (2012) बाजार की गिरफ्त मे पोशाहार और स्वस्थ्य (योजना 2012 पेज–19–22)।
4. बैनर्जी नंदु (2013) गरीबो के पेट पर वाटों की राजनीति (नईदुनिया समाचार पत्र 25 जुलाई 2013 पेज न. 8)।
5. भास्कर सुरेन्द्र (2013) आधार भूत सुविधाओं का आधार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (योजना फरवरी 2013 पेज 38–39)।
6. भगवती व श्रीनिवास (1993) ओपी. सीआईटी, पेज 62।
7. चन्द्रभान (2012) अनाज का एक–एक दाना महत्वपूर्ण (कुरूक्षेत्र मार्च 2012 पेज 8–12)।
8. गवकरे राजेश बिमरो (2010) ज्योग्राफिक परसपेक्टिवस आन पापुलेशन एंड फूड सिस्टम सोलापुर डिस्ट्रीक।
9. हिमांशु एवं सेन अभिजीत (2013) नगदी बनाम सामग्री (योजना फरवरी 2013 पेज 16–18)।

****